

जीलाम पत्र वाद संख्या - 206/2016-17

22

अभिलेख उपस्थापित।

वादी एवं बैंक अधिकारी उपस्थित हैं। उभय पक्षों ने बताया है कि ऋण राशि वसूली की जा चुकी है।

अतः वाद की कारवाई समाप्त की जाती है।

11.02.22
- श्री पंडित पंडित
- एड -
ऑफ आर
करमातौर (विधासाधक)